

क्र.सं.43

JDCAL

2015 पत्र 2

174048761N

226

विकास आयुक्त का कार्यालय
(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम)
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
(भारत सरकार)



OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
(MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES)
MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
GOVERNMENT OF INDIA
Nirman Bhawan, 7th Floor, Maulana Azad Road,
New Delhi - 110 108

निर्माण भवन, सातवीं मंजिल, मौलाना आजाद रोड,
नई दिल्ली-110 108

Ph. EPABX - 23062800, 23063802 23063803 FAX - (91-11) 23062215, 23061726, 23061068, e-mail - ccsmsehq@nb.nic.in

No. 5(2)2014 MSME POL

Dated 06.06.2014

विषय:- एम एस एम ई डी अधिनियम 2006 के लागू होने से पूर्व की स्थायी पंजीकृत
इकाइयों को सुविधाएँ दिये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषय पर अपने कार्यालय के पत्र संख्या
एफ.15(1)आयु.उ./ईएम.अनु./ईएम-मार्गदर्शन/2013 दिनांक 02.05.2014 का संदर्भ ले।

2. इस कार्यालय द्वारा पत्र संख्या 2(3)(1)/2007-MSME Pol दिनांक 7.2.2008 (प्रति
संलग्न) द्वारा सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को सूचित किया गया था कि एमएसएमईडी
एक्ट, 2006 के 02 अक्टूबर 2006 से प्रभाव में आने के उपरांत विगत में जारी स्थायी
पंजीकरण की प्रक्रिया समाप्त हो गई है तथा इसका EM filing से कोई संबंध नहीं है।

3. विगत में जारी स्थायी पंजीकरण की प्रक्रिया का कोई वैधानिक आधार नहीं था जबकि
जबकि एमएसएमईडी एक्ट, 2006 की धारा 8(1) के अनुसार EM फाइलिंग एक वैधानिक
प्रक्रिया है। अतः अधिक से अधिक एमएसएमई उद्यमियों को एमएसएमईडी एक्ट, 2006 की
की धारा 8(1) के प्रावधानों के अनुसार EM फाइल करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया
जाए।

संलग्न: यथोक्त

(आर. के. चौधरी)
उप. निदेशक (नीति)

संयुक्त निदेशक, उद्योग,
कार्यालय आयुक्त उद्योग,
उद्योग भवन, तिलक मार्ग,
जयपुर - 302005

सूचना विभाग का पत्र दिनांक 2/5/2014 पृष्ठ
भाग पर देखें।

KTO



150

209

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त उद्योग
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

क्रमांक-एफ.15(1)आयु.उ./ईएम.अनु./ईएम-मार्गदर्शन/2013

दिनांक: 21/5/2014

श्री पी.के. सिन्हा,
निदेशक (एमएसएमई नीति),
कार्यालय विकास आयुक्त (एमएसएमई),
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
(भारत सरकार), निर्माण भवन,
सातवीं मंजिल, मौलाना आजाद रोड,
नई दिल्ली-110108

विषय: एमएसएमईडी एक्ट, 2006 के लागू होने से पूर्व की स्थायी पंजीकृत इकाइयों को सुविधाएँ दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 21.2.2014 से चाहा गया मार्गदर्शन अपेक्षित है। विभाग के ध्यान में आया है कि उक्त अधिनियम के लागू होने से पूर्व में स्थायी पंजीकृत उद्योगों द्वारा बिक्री कर विभाग, आयकर विभाग एवं विद्युत बोर्ड इत्यादि से स्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र के आधार पर राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा देय सुविधाएँ प्राप्त की जा रही है। जबकि इन उद्योगों द्वारा एमएसएमईडी एक्ट, 2006 के अन्तर्गत उद्यमियता ज्ञापन भाग-द्वितीय की अभिस्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है।

अतः उक्त सम्बन्ध में निम्नांकित बिन्दुओं पर मार्गदर्शन भिजवाने का कष्ट करें:

1. अधिनियम लागू होने से पूर्व में जिन इकाइयों ने स्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त कर रखा है उन इकाइयों को उक्त अधिनियम में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है।
2. क्या उक्त अधिनियम लागू होने से पूर्व के जारी स्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र वर्तमान में कानूनी रूप से वैध है या नहीं?

भवदीय

(अविन्द्र लढढा)

संयुक्त निदेशक, उद्योग

क्रमांक-एफ.15(1)आयु.उ./ईएम.अनु./ईएम-मार्गदर्शन/2013

दिनांक: 21/5/2014

प्रतिलिपि : रक्षित पत्रावली (ई.एम.)।

संयुक्त निदेशक, उद्योग



No.2(3)(1)/2007-MSME Pol.

Dated 7 February 2008

Shri D.R. Bhamare
Jt. Director of Industries (MMR)
Govt. of Maharashtra
Office of the Jt. Director of Industries (MMR)
Opp. Tata Nagar, V.N. Purao Marg, Chunnabhatti (E),
Mumbai - 400 022.

Subject: The units registered as Permanent SSI prior to MSMED Act, 2006

Sir,

This has reference to Fax message No.JD/MMR/SSI/MSME-2.10.2006/2008/624 dated 22 January 2008 on the above subject. This is once again stated that the procedure of SSI registration has been done away with the implementation of MSMED Act, 2006 (i.e. w.e.f. 2 October 2006). An entirely new process of filing of EM, as contained in Section 8 of MSMED Act, 2006 has since been implemented. It has nothing to do with erstwhile system of SSI registration. There is no requirement for surrendering the earlier permanent registration certificates or canceling it prior to filing of EM Part II.

2. It transpired from the telephonic talks the undersigned had with Joint Director of Industries (MMR) that in Maharashtra, those units who were already having permanent SSI registration, are being informed that they need not file EM Part II. This is a wrong interpretation. The fact is that any enterprise, whether earlier registered with DIC, or not, may (repeat, 'may' i.e. optional) file EM Part II if it is a micro or a small enterprise, whether it is a manufacturing or a service enterprise. Similarly, it is optional for a medium enterprise in the service sector to file an EM. However, it is mandatory for a medium manufacturing enterprises to file an EM.

3. The presumption of the State Government that till the unit takes Part II, upto that time, the SSI registrations issued prior to 2 October 2006 are valid, is again fallacious. It is once again reiterated that the erstwhile SSI registration has been done away with and has no linkage with filing of EM.

4. It is requested that the enterprises may kindly be encouraged and motivated for filing of EMs so that the government obtains a strong data base that could facilitate policy formulation.

Yours faithfully,

(P.K. Sinha)
Deputy Director (MSME Pol.)
Telefax: 011-23061544



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त उद्योग
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

204

क्रमांक : एफ 15(1)आयु.उ./ई.एम अनु./ई.एम.-मार्गदर्शन/2013

दिनांक : 2.5-6-14

1. महाप्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र,
समस्त।
2. सहायक निदेशक उद्योग/
जिला उद्योग अधिकारी,
जिला उद्योग उप केन्द्र,
समस्त।

विषय: एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के लागू होने से पूर्व की स्थायी पंजीकृत इकाइयों को सुविधाएँ दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत उप निदेशक (नीति), कार्यालय विकास आयुक्त, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्रांक-5(2)2014 MSME POL दिनांक 06.06.2014 की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्न: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अविन्द्र लढढा)
संयुक्त निदेशक, उद्योग